न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08 / 2019	01.08.2019	29.05.2026

1. जुगराज पुत्र चतरू लाल शर्मा निवासी मेईकलां तहसील खण्डार।
2. ओमप्रकाश पुत्र चतरू लाल शर्मा निवासी मेईकलां तहसील खण्डार।
3. गणेश पुत्र चतरू लाल शर्मा निवासी मेईकलां तहसील खण्डार।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत मेईकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेईकलां।
2. उर्मिला पत्नि दुर्गालाल शर्मा निवासी बालेर हा.नि. खण्डार तहसील खण्डार।
3. रेखा पुत्री उर्मिला निवासी बालेर हा.नि. खण्डार तहसील खण्डार।

रेस्पोन्टस्गण

अपील नामान्तकरण संख्या 2124 दिनांक 06.08.2018 ग्राम पंचायत मेईकलां

उपस्थिति :—

श्री नागाराम मीना अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील अपीलान्टस की ओर से राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 75 के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2124 निर्णय दिनांक 06.08.2018 ग्राम पंचायत मेई कलां के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्टस द्वारा अपील निम्न प्रकार पेश की गई है कि

   - यह कि निर्णय ग्राम पंचायत मेई कलां नामान्तकरण संख्या 2124 दिनांक 06.08.2018 खिलाफ कानून एवं क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
   - यह कि ग्राम पंचायत मेई कंला द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मृतक दुर्गा लाल के वारिसान के बारे में गहनता से कोई जाँच पड़ताल नहीं की गई। इसलिए नामान्तकरण खारिज होने योग्य है।
   - यह कि ग्राम पंचायत मेई कंला द्वारा नामान्तकरण पर निर्णय पारित करने से पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत कोरम के समक्ष नामान्तकरण को पेश नहीं किया और प्रत्यर्थी से साज करके तथा अपीलार्थीगण से चुनावी रंजिश निकालने हेतु गुप—चुप तरीके से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। इसलिए नामान्तकरण खारिज होने योग्य है।
   - यह कि खाता सं0 13 वांके ग्रामत मेई कंला में स्थित खसरा नं0 451 / 956, 461, 822 में अन्य व्यक्ति भी खातेदार है तथा दुर्गा लाल पुत्र चतरू लाल की मानसिक स्थित खराब होने की बजह से उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं किया तथा न ही दुर्गा लाल का कभी कब्जा रहा है। इस कारण नामान्तरण सं0 2124 खारिज होने होग्य है।
   - यह कि मृतक दुर्गा लाल पुत्र चतरू लाल को प्रत्यर्थी उर्मिला द्वारा करीवन आज से 40 वर्ष पूर्व ही छोड़कर दूसरी जगह नाता प्रथा से शादी कर ली तथा 40 वर्ष पूर्व से ही ग्राम बालेर में रहकर महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करती चली आ रही है। और दुर्गा लाल से सम्बन्ध विच्छेद करके नाता प्रथा करने के उपरान्त से ही कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं रहा इस प्रकार उर्मिला मृतक दुर्गा लाल की वारिस नहीं हो सकती तथा रेखा जो प्रत्यर्थी सं0 2 की पुत्री है वह भी मृतक दुर्गा लाल से कोई सम्बन्ध एवं

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

वास्ता नहीं रखती है। इसलिए ग्राम पंचायत मेई कंला द्वारा खोला गया नामान्तरण सं0 2124 गलत तरीके से खोला गया है, जो निरस्त करने योग्य है।

- यह कि उर्मिला व रेखा आज तक मेई कंला में नहीं रही तथा न ही मेई कंला में मकान है इस प्रकार दुर्गा लाल की वारिस होना निरर्थक है।
- यह कि वाकिया उज्रात वर वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेंगें।
- अतः सेवामें अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेशकर निवेदन है कि नामान्तकरण सं0 2124 दिनांक 6.08.2018 वांके ग्राम मेई कंला को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील पेश होने पर कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रैस्पो0 को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पो0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के उपस्थिति नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार खण्डार से मूल नामान्तकरण तलब किया गया।

3. वकील अपीलाण्ट बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रत्यार्थी संख्या 1 उर्मिला द्वारा कई वर्ष पूर्व नाता विवाह कर लिया गया था एवं रेखा भी दुर्गलाल की पुत्री नहीं है। प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा भरण पोषण हेतु सिविल न्यायलय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा ख़ारिज किया गया था। दुर्गा लाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जिसकी देखभाल अपीलांट द्वारा की गई। प्रत्यार्थी के दुर्गा लाल के वारिस नहीं है इसलिए नामांतरकरण निरस्त योग्य है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नामानतरकरण संख्या 2124 दिनांक 06.08.18 द्वारा आराजी खसरा नंबर 451/956, 461, 822 वाके ग्राम मेई कलां में दुर्गालाल पुत्र चतरु लाल के फ़ौत हो जाने पर विरासत से उर्मिला पत्नी दुर्गालाल व रेखा पुत्री दुर्गालाल के नाम नामांतरकरण स्वीकार हुआ।

5. अपीलांट का तर्क है कि उर्मिला व रेखा आज तक मई कलां में नहीं रही तथा न ही मई कलां में मकान है इस प्रकार दुर्गा लाल की वारिस होना निरर्थक है। अपीलांट ने अपील में कथन किया है कि दुर्गालाल पुत्र चतरु लाल की मानसिक स्थिति ख़राब होने की वजह से खसरा नंबर 451/956, 461, 822 को कभी काश्त नहीं किया न ही दुर्गा लाल का कभी क़ब्ज़ा रहा है इसलिए नामांतरकरण संख्या 2124 ख़ारिज होने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत नामांतरकरण से मृतक के वारिसन के नाम भूमि दर्ज की गई है। यदि अपीलांट क़ब्ज़े के आधार पर विवादित आराजी में अपने अधिकार समझते है तो उन्हें विधिवत रूप से खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए। नामांतरकरण द्वारा केवल विरासत दर्ज करने की कार्यवाही की गई है।

6. अपीलांट द्वारा बहस में तर्क किया गया है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा भरण पोषण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल कोर्ट द्वारा भी ख़ारिज किया गया है व उर्मिला का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रकरण उर्मिला बनाम दुर्गलाल में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार के आदेशिका की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। किंतु उक्त के साथ प्रार्थी द्वारा संबंधित प्रार्थना पत्र/ वाद पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह अवलोकन नहीं किया जा सकता की उक्त प्रकरण में क्या अनुतोष चाहा गया था। अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 2124 इस आधार पर निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है कि मृतक दुर्गा लाल पुत्र चतरु लाल को प्रत्यार्थी उर्मिला द्वारा करीबन 40 वर्ष पूर्व ही छोड़कर दूसरी जगह नाता प्रथा से शादी कर ली तथा 40 वर्ष पूर्व से ही ग्राम बालेर में रहकर महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करती चली आ रही है तथा रेखा जो प्रत्यार्थी संख्या 2 है वह भी मृतक दुर्गा लाल से कोई संबंध वास्ता नहीं रखती है।

7. किसी व्यक्ति के निर्वासियत फ़ौत होने की स्थिति में सामान्यतः उसके पत्नी व पुत्र/पुत्री संपत्ति के उत्तराधिकारी होते है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी जाँच में प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 को मृतक दुर्गलाल की पत्नी व पुत्री के रूप में वारिसन माना गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रत्यार्थी

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

संख्या 1 उर्मिला द्वारा पुनर्विवाह किया गया हो या फिर मृतक दुर्गालाल से विधि अनुसार संबंध विच्छेद किया हो। साक्ष्य के अभाव में अपीलान्ट्स अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पुनर्विवाह किए जाने के कारण वह विवादित आराजी की उत्तराधिकारी नहीं थी। उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाना उचित नहीं समझते है।

आदेश

8. परिणामस्वरूप अपीलान्टस् के द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2124 निर्णय दिनांक 06.08.2018 ग्राम पंचायत गेई कलां खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मूल नामान्तकरण तहसीलदार खण्डार को भिजवाये जाने हेतु पृथक से तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स॰ मा॰)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)